संख्या- 09/2017/284/38-4-17-18(बजट)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 03 मई, 2017**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-246/सम्प्रेक्षा/ सम्प्रेक्षा /प्र0मं0आ0यो0/2016-17 दिनांक-13 अप्रैल,2017 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रधानमत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष सामान्य मद (अनुदान संख्या-13) में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैंचिग राज्यांश की धनराशि रू0 26315.815 लाख के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से लेखानुदान अवधि में स्वीकृत योग्य धनराशि में से अवशेष मैंचिग राज्यांश **रू0 26315.815 लाख (रूपया दो अरब तिरसठ करोड़ पन्द्रह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा। तथा प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों में उच्चीकृत/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017 /बी-1-02/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा प्रशासनिक मद की धनराशि का व्यय केवल प्राविधानित प्रशासनिक मदों के अन्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्य व प्रशासनिक मद की धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक उपलब्ध कराये जायेंगे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों के उच्चीकृत/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(10)-इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(11)-इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट (प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय, ताकि जिलाधिकारी प्रास केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश का आहरण कर सके।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-2-319/दस-17, दिनाक 28.04.2017 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयक्त सचिव।

संख्या- 09 /2017/284(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।